बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

निदेशक कार्यालय, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

नीलामी / निविदा सूचना
सं० 09 / 2019–20

1– विभाग का नाम– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2– विज्ञापनदाता का नाम– निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।
3– नीलामी की तिथि– 21–11–2019 को 2:00 बजे अपराह्न से।
4– नीलामी का स्थानः– संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

मोटर गाड़ी का विवरण			
क्रमांक	गाड़ी का नाम एवं निबंधन सं०	संख्या	डाक बोली के लिए अग्रधन की राशि
1	एम्बेस्डर कार (BR-01AS/7531)	01 (एक)	रू० 5000 / – (पाँच हजार रूपये)

विशेष जानकारी निदेशक कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त किया जा सकता है एवं वेबसाईट www.forest.bih.nic.in/www.zoopatna.com पर देखा जा सकता है।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।

बिहार सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग।

कार्यालय– निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना

नीलामी / निविदा सूचना
सं० 09 / 2019–20

1– विभाग का नाम– पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार।
2– विज्ञापनदाता का नाम– निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।
3– नीलामी की तिथि– 21–11–2019 को 2:00 बजे अपराह्न से।
4– नीलामी का स्थानः– संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

मोटर गाड़ी का विवरण			
क्रमांक	गाड़ी का नाम एवं निबंधन सं०	संख्या	डाक बोली के लिए अग्रधन की राशि
1	एम्बेस्डर कार (BR-01AS/7531)	01 (एक)	रू० 5000/– (पाँच हजार रूपये)

नीलामी / निविदा की शर्तेः–

1. यह नीलामी "जैसा है जहाँ है" तथा "जैसा है जो भी है" आधार पर होगी।
2. बोली लगाने से पूर्व डाक में भाग लेने वाले व्यक्ति/संस्था को अग्रधन की राशि रू० 5000/– (पाँच हजार रूपये) नकद अग्रधन जमा करनी होगी। साथ ही अपने पहचान के लिए फोटोयुक्त पहचान–पत्र की स्वःहस्ताक्षरित छायाप्रति जमा करना होगा।
3. मोटर गाड़ी की बिक्री हेतु मुहरबंद निविदा विहित प्रपत्र में अग्रधन की राशि के रूप में रूपये 5000/– (रूपये पाँच हजार) के डिमांड ड्राफ्ट् के साथ नीलामी के एक दिन 2.00 बजे अपराह्न तक निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। निविदाकर्ता, निविदा का विहित प्रपत्र स्वःहस्ताक्षरित पहचान–पत्र समर्पित कर निदेशक कार्यालय से कार्यावधि में प्राप्त कर सकते हैं। अग्रधन का बैंक ड्राफ्ट निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना के पदनाम से होना चाहिए जो पटना स्थित किसी राष्ट्रीयकृत बैंक पर भुगतेय हो। निविदाकर्त्ता अपनी निविदा दो लिफाफों में समर्पित करेंगे। पहले लिफाफे 'क' में निविदा प्रपत्र आवश्यक सूचनाओं के साथ रहेगा जिसमें निविदाकर्त्ता का पूरा नाम, पता, अग्रधन की राशि का बैंक ड्राफ्ट, पैन कार्ड की छायाप्रति तथा मोबाईल नम्बर रहेगा, जबकि दूसरे लिफाफे 'ख' में निविदाकर्ता साफ–साफ अक्षरों में (अंक एवं शब्दों में) मोटर गाड़ी का मूल्य अंकित करेंगे। जिस निविदा के साथ 'लिफाफा 'क' में अग्रधन राशि का ड्राफ्ट नहीं पाया जायेगा उसकी मान्यता नहीं दी जायेगी तथा उसे रद्द कर दिया जायेगा। निविदा को नीलामी तक सीलबंद एवं गोपनीय रखा जायेगा। नीलामी के समय उच्चतम दर अर्पण के उपरान्त निविदा का लिफाफा खोलकर सार्वजनिक किया जायेगा। पहले निविदा के साथ दिए गए अग्रधन का लिफाफा 'क' खोला जायेगा। जिन निविदा/निविदाओं के साथ अग्रधन की राशि रहेगी उसे मान्यता देते हुए निविदा लिफाफा 'ख' में अर्पित दर को सार्वजनिक किया जाएगा। निविदा में प्राप्त उच्चतम दर एवं नीलामी में प्राप्त उच्चतम दर में जो दर अधिक पाया जायेगा उसपर मोटर गाड़ी की बिक्री की जायेगी। असफल निविदादाताओं के अग्रधन की राशि एक सप्ताह के भीतर वापस कर दी जायेगी, जबकि सफल निविदादाता की राशि सुरक्षित जमा में समायोजित की जायेगी।
4. डाक की समाप्ति के उपरान्त बोली लगाने वाले प्रथम एवं द्वितीय डाकवक्ता को छोड़कर शेष डाकवक्ता की राशि उसी समय वापस कर दी जायेगी।

कृ०पृ०उ०

5. उच्चतम डाकवक्ता को डाक की समाप्ति के तुरंत बाद लगाई गई बोली की 15% राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करनी होगी।
6. उच्चतम डाकवक्ता को लगाई गई बोली के अतिरिक्त 6% VAT के रूप में जमा कर सामग्री की डिलेवरी प्राप्त करनी होगी।
7. सम्पुष्टि पत्र निर्गत की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर 85% शेष मूल्य एवं VAT का भुगतान अलग–अलग बैंक ड्राफ्ट द्वारा करना अनिवार्य होगा।
8. विमुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से तीन दिनों के अन्दर क्रेता को क्रय सामग्री उठा लेना होगा।
9. निदेशक, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना को किसी भी समय डाक को बिना किसी कारण बताये रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है।
10. डाक से पूर्व डाककर्ता को मोटर गाड़ी तथा उसमें उपलब्ध विभिन्न पार्ट्स का भौतिक निरीक्षण कर लेना श्रेयस्कर होगा।
11. ईच्छुक व्यक्ति नीलामी के संबंध में विस्तृत जानकारी अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय अवधि में प्राप्त कर सकते हैं।

निदेशक,
संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना।

भ्रष्टाचारी के दबाव में मत रहें, निगरानी विभाग से मिलकर कहें।